भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 37

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप

***37. श्री नरेश गणपत म्हस्के:**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से कितने स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हैं और विगत दस वर्षों के दौरान स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने वाले स्टार्टअप का क्षेत्र-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रोजगार सृजन में भारतीय स्टार्टअप के योगदान का ब्यौरा क्या है और स्टार्टअप इंडिया के रिकार्ड के अनुसार विशेषकर महाराष्ट्र में कितने रोजगार सृजित हुए हैं;

(ग) वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से अब तक सभी क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में इसकी प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विनियामक अनुपालन को आसान बनाने और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को कर लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया के दायरे का विस्तार करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 1,97,692 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के अंतर्गत, एक पात्र स्टार्टअप लगातार तीन आकलन वर्षों तक पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और आय के 100% के बराबर राशि की कटौती का दावा कर सकता है। 31 अक्तूबर 2025 तक, 4,147 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को धारा 80-आईएसी के अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं। उद्योग-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख): 31 अक्तूबर, 2025 तक, मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स ने 21.11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित की सूचना दी हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में, डीपीआईआईटी द्वारा 34,444 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिन्होंने 31 अक्तूबर, 2025 तक, 3.76 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करने की सूचना हैं।

(ग): **स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उपलब्धियाँ**

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या और रोज़गार सृजन में वृद्धि हुई है, जैसा कि उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है। स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कुल कंपनियों में से, 31 अक्तूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, लगभग 48% कम्पनियों में कम से कम एक महिला निदेशक/साझेदार हैं। इसके अलावा, देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड

फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) ताकि स्टार्टअप्स को निधियन के अवसर प्रदान किए जा सकें और स्टार्टअप्स को व्यवसाय चक्र के सभी क्षेत्रों के लिए विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके। 31 अक्तूबर 2025 तक, एफएफएस के तहत 144 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के लिए 10,000 करोड़ रुपए की कुल राशि की प्रतिबद्धता जताई गई है। 31 अक्तूबर 2025 तक, एसआईएसएफएस के तहत भी 219 इन्क्यूबेटरों के लिए 945 करोड़ रुपए की कुल राशि अनुमोदित की गई है। 31 अक्तूबर 2025 तक, सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप ऋणदाताओं के लिए 755.25 करोड़ रुपए के 311 ऋणों की गारंटी दी गई है।

31 अक्तूबर 2025 तक, राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) के चार संस्करण, और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) के चार संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूत करके और उत्कृष्ट स्टार्टअप को मान्यता देकर, विभिन्न क्षेत्रों में ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने ईकोसिस्टम-आधारित पहल 'स्टार्टअप महाकुंभ' के दो संस्करणों के आयोजन में भी सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की है, जिसने हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग हेतु एक वाइब्रेंट प्लेटफार्म के रूप में कार्य किया। बाजार पहुंच में सुधार के लिए, 34,400 से अधिक डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) में शामिल किया गया है और 31 अक्तूबर 2025 तक सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को 4.8 लाख से अधिक ऑर्डर दिए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 47,500 करोड़ रुपए से अधिक है।

इसके अलावा, 31 अक्तूबर 2025 तक, भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था में किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप स्टार्टअप्स द्वारा 16,000 से अधिक नए पेटेंट आवेदन दायर किए गए हैं।

विनियामक अनुपालन को सुगम बनाने और स्टार्टअप्स को कर लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

देशभर में विनियामक अनुपालन को सुगम बनाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" के तहत कई पहलें की गई हैं, जिनमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी असेसमेंट, जन विश्वास तथा व्यवसायों व नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करना, और सेवाओं की प्रशासनिक लागत के संदर्भ में समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके सुधार हेतु विनियमन लागत (सीओआर) कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्रीय

मंत्रालय/विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार के अनुपालनों की स्वतः पहचान करने के कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिससे सफलतापूर्वक 47,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। कम किए गए कुल अनुपालनों में से, 16,108 अनुपालनों को सरल बनाया गया है, 22,287 अनुपालनों का डिजिटलीकरण किया गया है, 4,557 अनुपालनों को गैर-अपराधीकृत बनाया गया है, और 4,270 अनुपालनों में से अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को विभिन्न कर संबंधी लाभ पहुंचाने के लिए कई पहलें, नीतिगत उपाय और सुधार किए हैं। इनमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-आईएसी के तहत लाभ से संबद्ध कटौती, एंप्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) से होने वाली आय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को स्थगित करना, घाटे को आगे ले जाने और उसे समायोजित करने की छूट, तथा पात्र इन्क्यूबेटरों के भीतर स्थित उद्यमियों के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) में छूट शामिल हैं।

(घ): उपर्युक्त (ग) के उत्तर में उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, समग्र सरकार के दृष्टिकोण के माध्यम से युवाओं में नवप्रयोग और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभिन्न पहलें की जा रही हैं। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): 31 अक्तूबर, 2025 तक, डीपीआईआईटी ने हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योगों से जुड़ी 4,024 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है।

हालांकि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए सभी उपाय समावेशी हैं तथा सभी क्षेत्रों और उद्योगों में लागू किए गए हैं, लेकिन हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में नवप्रयोग को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के भाग के रूप में स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करने वाले नवप्रयोगों को मान्यता देना, भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत जलवायु-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ईकोसिस्टम के सहयोग से ग्रैंड चैलेंज का आयोजन तथा जलवायु प्रौद्योगिकी नवप्रयोग और स्थायी समाधान प्रस्तुत करने के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए हैकथॉन का आयोजन शामिल हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, ऐसे मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की उद्योग-वार और वर्षवार संख्या जिन्होंने धारा 80-आईएसी के तहत पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हैः

उद्योग	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (31 अक्तूबर 2025 तक)
विज्ञापन	0	0	0	2	1	1	4	11	2	6
एरोनॉटिक्स एरोस्पेस और रक्षा	0	0	0	5	0	1	14	18	8	8
कृषि	0	4	1	7	7	4	28	84	28	25
एआई	0	2	1	6	7	6	23	28	11	5
एयरपोर्ट प्रचालन	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
एनेलिटिक्स	0	0	0	2	0	3	11	20	4	3
एनीमेशन	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0
एआर वीआर (ऑगमैंटेड + वर्चुअल रिऐलटी)	0	0	0	2	0	1	5	5	4	2
आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन	0	0	0	0	0	0	5	16	5	5
कला और फोटोग्राफी	0	0	0	1	0	0	1	4	1	2
आटोमोटिव	0	1	1	1	2	1	18	33	12	17
जैव प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1
रसायन	0	0	0	0	0	0	11	34	13	11
कंप्यूटर विजन	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2
निर्माण	0	1	0	3	3	0	16	110	39	41
डेटिंग मैट्रीमोनियल	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
डिज़ाइन	0	1	0	1	0	3	5	17	1	6
शिक्षा	0	4	0	11	6	8	45	89	23	24
एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर	0	1	0	5	1	1	18	32	11	5
आयोजन	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1

उद्योग	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (31 अक्तूबर 2025 तक)
फ़ैशन	0	0	0	2	0	0	4	38	12	12
वित्त प्रौद्योगिकी	0	0	0	7	4	1	37	59	24	16
खाद्य और पेय पदार्थ	0	0	0	5	4	0	18	80	19	16
हरित प्रौद्योगिकी	0	9	1	2	4	4	23	39	23	10
स्वास्थ्य देखभाल और लाइफसाइंसेज	4	12	4	20	7	15	69	196	67	53
घरेलू सेवाएं	0	0	0	1	0	0	0	14	3	4
मानव संसाधन	0	0	0	3	0	1	5	28	7	5
इंडिक लैंग्वेज स्टार्टअप्स	0	1	0	0	0	0	0	7	0	1
इंटरनेट ऑफ थिंग्स	0	1	0	5	3	3	8	16	3	4
आईटी सेवाएं	0	4	0	19	6	11	95	256	77	50
लॉजिस्टिक्स	0	0	0	0	0	0	4	7	1	2
विपणन	0	0	0	5	0	2	5	36	8	5
मीडिया और मनोरंजन	0	0	0	4	0	0	8	20	6	4
नैनो टेक्नॉलाजी	0	0	1	0	0	0	2	7	1	1
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	2	14	4	3
अन्य विशेष खुदरा विक्रेता	0	1	0	0	1	1	3	18	7	5
अन्य	2	12	0	3	1	1	19	53	13	11
पालतू पशु और पशु	0	0	0	1	1	0	1	3	3	0
व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं	0	0	0	5	2	2	33	113	45	33
रीयल एस्टेट	0	0	0	0	1	0	1	22	2	3
नवीकरणीय ऊर्जा	0	3	0	8	4	2	17	65	19	29
रिटेल	0	0	0	1	2	0	10	17	12	7
रोबोटिक्स	0	1	1	0	1	0	3	6	7	5
सुरक्षा	0	2	0	0	0	0	2	4	2	3

उद्योग	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (31 अक्तूबर 2025 तक)
सुरक्षा समाधान	0	0	1	2	0	0	5	18	11	2
सामाजिक प्रभाव	0	0	0	4	0	1	5	6	2	1
सोशल नेटवर्क	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
खेल-कूद	0	0	0	1	0	0	5	3	1	2
प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	0	2	5	6	1	4	26	114	35	30
दूरसंचार और नेटवर्किंग	0	1	0	2	0	0	6	9	8	4
वस्त्र और परिधान	0	1	1	1	1	0	6	56	21	27
खिलौने और खेल	0	0	0	0	0	0	2	5	1	2
परिवहन और भंडारण	0	0	0	4	1	1	5	33	5	9
यात्रा और पर्यटन	0	0	0	2	2	1	8	26	5	11
अपशिष्ट प्रबंधन	0	0	0	0	0	0	5	17	4	10
कुल	**6**	**64**	**17**	**160**	**73**	**80**	**653**	**1924**	**624**	**546**

अनुबंध-II

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, ऐसे मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार संख्या जिन्होंने धारा 80-आईएसी के तहत पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (31 अक्तूबर 2025 तक)
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
आंध्र प्रदेश	0	0	0	1	0	0	3	10	4	3
असम	0	0	0	0	0	0	5	8	1	5
बिहार	0	0	0	0	0	0	3	13	2	9
चंडीगढ़	1	1	0	1	0	0	2	4	4	2
छत्तीसगढ	0	0	0	1	0	0	2	15	6	6
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
दिल्ली	0	13	1	19	11	10	55	169	52	50
गोवा	0	0	0	2	0	0	5	5	3	1
गुजरात	0	6	2	15	5	4	45	345	126	110
हरियाणा	0	3	0	9	8	3	38	96	31	35
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	6	3	1	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	9	4	5
कर्नाटक	2	9	4	23	10	14	104	168	54	36
केरल	0	3	1	11	1	2	18	49	11	12
मध्य प्रदेश	0	0	0	4	2	3	12	65	15	19
महाराष्ट्र	1	14	5	36	13	28	152	423	136	116
मणिपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
ओडिशा	0	0	0	2	2	0	10	16	2	8
पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
पंजाब	0	0	0	0	0	2	5	39	12	6
राजस्थान	0	1	0	6	2	0	23	65	24	27
तमिलनाडु	0	5	2	8	6	5	55	146	57	28
तेलंगाना	0	6	1	9	4	3	36	74	23	15
उत्तर प्रदेश	1	2	1	7	5	4	42	114	34	30
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	2	4	9	2	2
पश्चिम बंगाल	1	1	0	4	3	0	23	71	18	18
कुल	**6**	**64**	**17**	**160**	**73**	**80**	**653**	**1924**	**624**	**546**

******

अनुबंध-III

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

I. युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में स्वावलंबिनी कार्यक्रम**,** उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम (पीएम एसजीएमबीवाई स्कीम) और उचित दर वाली दुकान के स्वामियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।
2. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारतीय युवाओं के बीच अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और सामुदायिक इनोवेटर फैलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
3. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शैक्षणिक संस्थानों में नवप्रयोग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं।
4. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य अनुभव आधारित शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसर, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक व्यवस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराना है।
5. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता नवप्रयोग स्कीम (आईडेक्स) और आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (अदिति) जैसे कार्यक्रम रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शामिल करते हुए नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, डीएसटी युवाओं में नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'नवप्रयोगों के विकास और उनका लाभ उठाने हेतु राष्ट्रीय पहल (निधि)' को कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप

अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस फेलोशिप), निधि-आईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) कार्यक्रम शामिल हैं।

7. अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउण्डेशन (एएनआरएफ) ने मिशन-मोड में प्राथमिकता-आधारित, समाधान-केंद्रित अनुसंधान के लिए 'मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इंपैक्ट एरिया' (एमएएचए) कार्यक्रम शुरू किया है।
8. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अपनी घटक प्रयोगशालाओं/संस्थानों के माध्यम से, "एकीकृत कौशल पहल कार्यक्रम" को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को आवश्यक प्रौद्योगिकीय कौशल से युक्त करना है।
9. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने बायोनेस्ट (बायोइन्क्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज) और ई-युवा (युवाओं को अभिनव अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और इन्क्यूबेशन-पूर्व केंद्र स्थापित किए हैं।
10. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) स्कीम और इंडिया एआई मिशन जैसी पहलें की जा रही हैं।

*****